संख्या-57/2023/1449/18-2-2023-18-2099/466/2023

प्रेषक

प्रांजल यादव
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 नवम्बर, 2023

विषयः मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन/ परिवर्द्धन।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के प्रस्तर-2.4.3 के अन्तर्गत प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015, दिनांक 02-6-2016 व सहपठित शासनादेश संख्या-10/2017/686/18-2-2017-30(9)/2015, दिनांक 28-9-2017 द्वारा ''मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। इस योजना के संचालन को और अधिक सरल एवं सुगम बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015, दिनांक 02-6-2016 के प्रस्तर-2(6) को निम्नवत संशोधित/ परिवर्द्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

प्रस्तर-2 का उपप्रस्तर-(6)

''योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अन्य शिड्यूल्ड बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा।''

2- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-6/2016/406/18-2-2016-30(9)/2015, दिनांक 02-6-2016 व सहपठित शासनादेश संख्या-10/2017/686/18-2-2017-30(9)/2015, दिनांक 28-9-2017 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त यथावत रहेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।
4- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, लखनऊ।
5- महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ।
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

अरूण प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।